

न्यायालय— सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला —बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रक.क्रमांक—167 / 2003
 संस्थित दिनांक—24.01.1997
 फाईलिंग क.234503000071997

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा वन परिक्षेत्र अधिकारी
 पश्चिम बैहर, तहसील बैहर, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — अभियोजन

// विरुद्ध //

1—जगतू सिंह वल्द झड़ी सिंह, उम्र—60 वर्ष, जाति गोंड,
 निवासी—ग्राम तुमड़ीभाट, थाना बैहर,
 तहसील बैहर, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

2—कृपाल सिंह वल्द राम सिंह, (फौत घोषित)
 निवासी—ग्राम तुमड़ीभाट, थाना बैहर,
 तहसील बैहर, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

3—जगतलाल वल्द नन्दलाल, (फरार घोषित)
 निवासी—ग्राम तुमड़ीभाट, थाना बैहर,
 तहसील बैहर, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

4—रोशनलाल पिता समलू, उम्र—65 वर्ष, जाति गोवारा,
 निवासी—ग्राम देबरटोला (बैगानगरी), थाना बैहर,
 तहसील बैहर, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

5—सोहनलाल पिता समलू, उम्र—60 वर्ष, जाति गोवारा,
 निवासी—ग्राम देबरटोला (बैगानगरी), थाना बैहर,
 तहसील बैहर, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — आरोपीगण

// निर्णय //

(आज दिनांक—11 / 01 / 2016 को घोषित)

1— आरोपी जगतू सिंह, रोशनलाल, सोहनलाल के विरुद्ध वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा—9, 39, 49 बी, सहपठित धारा—51 के तहत आरोप है कि उन्होंने

दिनांक-18.09.1996 को बीट क्रमांक-278 बिजौरा अंतर्गत वन परिक्षेत्र पश्चिम बैहर में बिना अनुज्ञप्ति मादा सांभर का शिकार कर अवैध रूप से व्यापार के उद्देश्य से उसका मांस काटकर विक्रय किया।

2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि दिनांक-18.09.1996 को वन परिक्षेत्र अधिकारी पश्चिम बैहर को सूचना प्राप्त हुई कि बिजौरा बीट के कक्ष क्रमांक-278 में वन्य प्राणी मादा सांभर का शिकार किया गया है। आरोपीगण से पूछताछ किये जाने पर आरोपीगण द्वारा शिकार करने के संबंध में कोई अनुज्ञा पत्र पेश नहीं किया गया। आरोपीगण ने अपना जुर्म स्वीकार कर बताया कि उन्होंने एक राय होकर वन्य प्राणी सांभर का शिकार किया और उसका मांस काटकर ग्राम तुमड़ीभाट में बिक्री किया है। विवेचना के दौरान आरोपीगण से कच्चा-पक्का मांस व घटनास्थल से खून आलूदा मिट्टी जप्त की गई। वन परिक्षेत्र अधिकारी पश्चिम बैहर द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध पी.ओ.आर.क्रमांक-943/21, धारा-9, 39, 44, 49, सहपठित धारा-51 वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 के तहत पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौके का पंचनामा, जप्तीनामा, आरोपीगण तथा साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये एवं आरोपीगण को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत परिवाद पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपी जगतूसिंह, रोशनलाल, सोहनलाल को वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा-9, 39, 49 बी, सहपठित धारा-51 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है। आरोपी जगतूसिंह, रोशनलाल, सोहनलाल ने धारा-313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना व झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया। आरोपी जगतूसिंह, रोशनलाल, सोहनलाल ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपी जगतूसिंह, रोशनलाल, सोहनलाल ने दिनांक-18.09.1996 को बीट क्रमांक-278 बिजौरा अंतर्गत वन परिक्षेत्र पश्चिम बैहर में बिना अनुज्ञप्ति मादा सांभर का शिकार कर अवैध रूप से व्यापार के उद्देश्य से उसका मांस काटकर विक्रय किया ?

विचारणीय बिन्दु का सकारण निष्कर्ष :-

5— उपवनक्षेत्रपाल ए.एल. पाण्डे (अ.सा.1) ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि वह वर्ष 1993 से पश्चिम बैहर में परिक्षेत्र सहायक के पद पर पदस्थ है। दिनांक-18.09.1996 को आरोपी जगतलाल, कृपालसिंह तथा जगतूसिंह से एक-एक किलो सांभर का मांस जप्त हुआ था। जप्ती की कार्यवाही प्रेमचंद बिसेन के द्वारा की गई थी। जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-2, 3, 4 पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा वनरक्षक के द्वारा की गई जप्ती की जांच किया गया था। पंचनामा प्रदर्श पी-1 पर उसके हस्ताक्षर हैं। माल जप्त करने के समय घर की तलाशी ली गई थी, जिसमें सांभर का मांस जप्त हुआ था। इस बात का खुलासा पंचनामा में किया गया था। पंचनामा प्रदर्श पी-5 पर उसके हस्ताक्षर हैं, जो सांभर के गोشت के संबंध में तैयार किया गया था।

6— उक्त साक्षी का यह भी कथन है कि उसने आरोपी कृपालसिंह, जगतूसिंह से पूछताछ करने पर आरोपीगण ने सांभर का मटन अपने पास रखने का अपराध स्वीकार किया था। उसने विवेचना के दौरान गवाह संपतसिंह, नैनसिंह के कथन दर्ज किये थे, जो प्रदर्श पी-6 एवं 7 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने विवेचना के दौरान सुखलाल के कथन दर्ज किया था, जो प्रदर्श पी-8 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। जप्तशुदा मटन को पशु चिकित्सालय बैहर चार डिब्बे बनाकर भेजा था तथा उसके पश्चात् सागर परीक्षण हेतु भेजा गया था और बचे हुए मांस को एस.डी. ओ. बैहर के समक्ष जमीन में गाड़ दिया गया था, जिसका पंचनामा प्रदर्श पी-9 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपीगण को पंचनामा प्रदर्श पी-10 के माध्यम से गिरफ्तार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। विवेचना के दौरान उसके द्वारा वनरक्षक प्रेमचन्द बिसेन तथा मोहम्मद उमर कुरैशी का कथन उनके बताए अनुसार दर्ज किया था। दिनांक-03.10.96 को बैगा नगरी जो बैहर से आठ किलामीटर दूर है, वहां पर रोशन, सोहन ने घटनास्थल दिखाया था तथा मौके पर खून लगी मिट्टी जप्त किया था। मौकानक्शा प्रदर्श पी-12 उसने मौके पर जाकर तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी रोशन तथा सोहनलाल से उसके द्वारा पूछताछ की गई थी, जिसमें दोनों ने अपराध करना स्वीकार किया था। पंचनामा प्रदर्श पी-12 पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा आरोपी रोशन तथा सोहन को गिरफ्तार किया गया था।

7— मो. उमर कुरैशी (अ.सा.4) ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि वर्ष 1996 में वह पश्चिम बैहर सामान्य बन्ना बीट में पदस्थ था। वह आरोपीगण को जानता

है। आरोपीगण ने सांभर का शिकार कर उसका गोشت बेचने के लिए तुमड़ीभाट लाए थे, जहां आरोपीगण से सांभर का गोشت जप्त किया गया था। आरोपीगण ने जहां सांभर का शिकार किया था, वहां देखने के लिए वे लोग गए थे। सिपाही प्रेमचंद बिसेन ने जप्ती की कार्यवाही किया था। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि आरोपीगण से गोشت जप्त नहीं हुआ था। साक्षी का स्वतः कथन है कि जो बेचने आया था, उसी से जप्त हुआ था। इस प्रकार साक्षी ने अपने कथन में कथित मांस की जप्ती के संबंध में परस्पर विरोधाभास कथन किये हैं। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह भी स्वीकार किया कि आरोपीगण ने स्वीकार किया था, इसलिए वह बता रहा है कि सांभर का गोشت है। इस प्रकार साक्षीगण के द्वारा कथित जप्तीशुदा मांस की पहचान भी आरोपीगण की स्वीकारोक्ति के आधार पर बताया जाना प्रकट होता है।

8— प्रेमचंद (अ.सा.5) ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि वह परिक्षेत्र अधिकारी तथा वनकर्मियों के साथ ग्राम तुमड़ीभाट गया था, जहां जगतू के यहां तलाशी लेने पर सांभर का मांस मिला था। कृपाल एवं जगतलाल के यहां भी तलाशी लेने पर सांभर का मांस मिला था। जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-2, 3 एवं 4 पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा पी.ओ.आर. जारी किया गया था, जो प्रदर्श पी-14 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपीगण ने किसी देवरटोला वाले से मांस खरीदा था। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि जब वे लोग जगतू के घर पहुंचे तब जगतू घर में नहीं था। इस प्रकार साक्षी ने विभागीय कर्मचारी होते हुए अपने वरिष्ठ अधिकारी की कार्यवाही का समर्थन कर पी.ओ.आर. जारी करने की पुष्टि की है, किन्तु साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि वह बिना परीक्षण के वह नहीं कह सकता कि जप्तशुदा मांस किसी वन्य प्राणी का है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि वन्यप्राणी के मांस के परीक्षण के संबंध में उसने कोई प्रशिक्षण नहीं लिया है। यदि उक्त मांस किसी पालतू जानवर का होगा तो वह नहीं बता सकता। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि उसने रेंजर साहब के कहने पर जप्तीपत्रक व पी.ओ.आर. जारी किया था तथा उसे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

9— एस.सी. सोनी (अ.सा.6) ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि वह जून 1997 तक वन परिक्षेत्र अधिकारी पश्चिम बैहर के पद पर पदस्थ था। दिनांक-18.09.1996 को वह जंगल भ्रमण पर गया हुआ था, वहां पर उसे रास्ते में किसी व्यक्ति ने बताया कि ग्राम तुमड़ीभाट के पास कुछ लोग सांभर का मांस पका रहे हैं, वहां सांभर

का शिकार किया गया है। वह परिक्षेत्र सहायक के साथ ग्राम तुमड़ीभाट गया तो उसे पता चला कि जगतूसिंह और रामकृपाल के यहां सांभर का मांस पका रहे हैं। उसने जगतूसिंह से पूछताछ की तो उसने बताया कि किसी लड़के से मांस खरीदा है। वह मांस बीटगार्ड द्वारा जप्त किया गया था। जप्तीपत्रक उसके द्वारा बनाया गया था। उसके निर्देशन में यह कार्यवाही की गई। जप्ती के संबंध में एक पंचनामा भी बनाया गया था। पंचनामा प्रदर्श पी-13 पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने आरोपी जगतूसिंह के बयान लिये थे, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने अपने बयान में मांस खरीदना बताया था। बयान प्रदर्श पी-15 पर उसके एवं जगतू के हस्ताक्षर हैं। मांस का परीक्षण डॉक्टर से कराया था तो पशु चिकित्सक ने रासायनिक प्रयोगशाला सागर में मांस का परीक्षण कराने की सलाह दिया था। उसने परिक्षेत्र सहायक को जांच करने का निर्देश दिया था तथा आरोपीगण के विरुद्ध अपराध पाए जाने पर यह परिवाद न्यायालय में पेश किया।

10— उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि मांस हांडी में पका हुआ जप्त किया था, किन्तु हांडियां जप्त नहीं की थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि केवल एक आदमी के यहां हांडी में गोश्त था, बाकी के यहां नहीं था। साक्षी ने यह भी बताया कि हांडी किसके यहां थी, उसे नहीं मालूम, क्योंकि घटना पुरानी हो चुकी है। इस प्रकार साक्षी के द्वारा जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी-13 पर हस्ताक्षर होना तो बताया गया है, किन्तु कथित मांस की जप्ती किस आरोपी से की गई है। उसका नाम नहीं बताया गया है। साक्षी ने केवल आरोपी जगतूसिंह के स्वीकारोक्ति वाले कथन प्रदर्श पी-13 की पुष्टि कर परिवाद पेश किया जाने के तथ्य को प्रमाणित किया है।

11— नैनसिंह (अ.सा.2) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह सभी आरोपीगण को जानता है। सभी आरोपीगण उसकी बस्ती के ही हैं। उसे मालूम नहीं कि आरोपीगण से क्या-क्या जप्त हुआ था। जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-2 पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके सामने जगतूसिंह से सांभर का मांस जप्त नहीं हुआ। जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-3 एवं प्रदर्श पी-4 पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके सामने कृपाल और जगतलाल से सांभर का मांस जप्त नहीं हुआ था। पंचनामा प्रदर्श पी-5 पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके सामने आरोपीगण ने जुर्म कबूल नहीं किये थे। इस प्रकार साक्षी ने अभियोजन मामलें का किसी प्रकार से समर्थन नहीं किया है।

12— बिसनू (अ.सा.3) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी

जगतू सिंह, कृपाल, जगतलाल, रोशनलाल, सोहनलाल, सभी को जानता है। जीप में वन विभाग के लोग तुमड़ीभाट आये थे, उसके सामने जगतू से सांभर का गोश्त जप्त नहीं हुआ था। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने अपनी साक्ष्य में अभियोजन मामलों का समर्थन नहीं किया है।

13— आशादास (अ.सा.7) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि लगभग चार वर्ष पूर्व की बात है। ग्राम तुमड़ीभाट में वनरक्षक प्रेमलाल व अन्य वन विभाग के लोगों ने सांभर के गोश्त को खरीदने के संबंध में एक व्यक्ति से पूछताछ की थी। वह व्यक्ति कृपालसिंह था या नहीं उसे याद नहीं है। उसे जानकारी नहीं है कि जिस व्यक्ति के द्वारा सांभर खरीदने की बात स्वीकार की गई वह कृपाल सिंह था या नहीं। उसे यह भी याद नहीं है कि पंचनामा बनाया गया था या नहीं। साक्षी को प्रदर्श पी-1 का ब से ब भाग दिखाए जाने पर उसने आपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने अपनी साक्ष्य में अभियोजन मामलों का समर्थन नहीं किया है।

14— पप्पू (अ.सा.8) ने अपनी साक्ष्य में बताया कि घटना के समय किस-किस के घर से वन विभाग वाले मांस लाए थे, वह नहीं बता सकता। वह आरोपीगण को नहीं जानता। साक्षी ने वन विभाग वाले के द्वारा किसी भी कार्यवाही का समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया कि उसके समक्ष वन विभाग वालों ने कोई कार्यवाही नहीं की है। इस प्रकार साक्षी ने अभियोजन मामलों का किसी प्रकार से समर्थन नहीं किया है।

15— धरमसिंह (अ.सा.9) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि आरोपीगण ने क्या अपराध किया, उसकी जानकारी नहीं है। साक्षी ने उसके पंचनामा से भी इंकार किया है। साक्षी ने अपनी साक्ष्य में अभियोजन का किसी प्रकार से समर्थन नहीं किया है।

16— तबलसिंह (अ.सा.10) ने अपनी साक्ष्य में बताया कि उसे घटना के बारे में जानकारी नहीं है। वह घटनास्थल पर नहीं गया था। साक्षी ने यह भी बताया कि उसे वन्य प्राणी का शिकार करने की कोई जानकारी नहीं है तथा उसने वन अधिकारियों को कोई बयान नहीं दिया है। साक्षी ने अपनी साक्ष्य में अभियोजन का किसी प्रकार से समर्थन नहीं किया है।

17— सुखलाल (अ.सा.11) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह

आरोपीगण को नहीं जानता। उसे आरोपीगण द्वारा सांभर का शिकार करने की कोई जानकारी नहीं है। उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है। साक्षी ने उसके कथन प्रदर्श पी-8 से भी इंकार किया है। साक्षी ने अपनी साक्ष्य में अभियोजन का किसी प्रकार से समर्थन नहीं किया है।

18— प्रकरण में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत महत्वपूर्ण विभागीय साक्षीगण विवेचक ए.एल. पाण्डे (अ.सा.1), जप्ती अधिकारी प्रेमचंद (अ.सा.5), मो. उमर कुरैशी (अ. सा.4) व परिवादी परिक्षेत्र अधिकारी एस.सी. सोनी (अ.सा.6) की साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि उन्होंने सूचना के आधार पर घटना के समय गांव के लोगों से कथित वन्य प्राणी सांभर का पका हुआ मांस जप्त किया था। यद्यपि कथित पका हुआ सांभर का मांस जप्त किये जाने के संबंध में जप्ती अधिकारी प्रेमचंद (अ.सा.5) ने अपनी साक्ष्य में यह नहीं बताया कि कथित सांभर का मांस किस-किस व्यक्ति से और कहां-कहां से तथा किसी रूप में जप्त किया गया था। ऐसी दशा में जप्ती अधिकारी के द्वारा अपनी साक्ष्य में उक्त महत्वपूर्ण तथ्य का लोप किये जाने से जप्ती की कार्यवाही विधिवत् प्रमाणित नहीं होती है।

19— यह भी उल्लेखनीय है कि आरोपीगण को कथित वन्य प्राणी सांभर के शिकार करते हुए किसी के द्वारा नहीं देखा गया है और न ही इस संबंध में अभियोजन ने कोई चक्षुदर्शी साक्षी पेश किया है। अभियोजन का मामला पूर्णतः जप्ती कार्यवाही एवं आरोपीगण के कथित अपराध की स्वीकारोक्ति पर निर्भर है। जिन स्वतंत्र साक्षीगण को अभियोजन की ओर से पेश किया गया है, उन्होंने एकमत से अपनी साक्ष्य में यह बताया है कि उनके सामने कोई जप्ती की कार्यवाही नहीं हुई। यह भी उल्लेखनीय है कि आरोपीगण से कथित वन्य प्राणी सांभर का केवल पका हुआ मांस जप्त किया जाना बताया गया है, जबकि सांभर के पके मांस के अलावा उसका चमड़ा व हड्डी की बरामदगी न किये जाने का कोई कारण नहीं बताया गया है। वास्तव में यदि कथित सांभर के पके हुए मांस की जप्ती हुई होती तो निश्चित ही सांभर के चमड़े व हड्डी की भी स्वाभाविक रूप से जप्ती की जाती और उससे उक्त वन्य प्राणी के शिनाख्ती की कार्यवाही आसानी से हो सकती थी। उक्त के अभाव में भी अभियोजन का मामला संदेहास्पद हो जाता है।

20— आरोपीगण की स्वीकारोक्ति वाले बयान लेख करने वाले विवेचक ए.एल. पाण्डे (अ.सा.1) ने आरोपीगण की स्वीकारोक्ति के संबंध में कथन लेख किया जाना

बताया है, किन्तु अपनी साक्ष्य में यह स्पष्ट नहीं किया है कि आरोपीगण ने कथित मांस किस प्रकार और कहां से प्राप्त किया था। ऐसी दशा में कथित अपराध की स्वीकारोक्ति भी संदेहास्पद प्रकट होती है। आरोपीगण की स्वीकारोक्ति के कथन के स्वतंत्र साक्षीगण ने उक्त स्वीकारोक्ति आरोपीगण द्वारा किये जाने से इंकार किया है। उक्त साक्षीगण ने जप्ती कार्यवाही से भी इंकार किया है। इस प्रकार आरोपीगण की कथित स्वीकारोक्ति के कथन का अन्य स्वतंत्र साक्षीगण के द्वारा समर्थन प्राप्त नहीं होता है।

21— आरोपी जगतू सिंह, रोशनलाल, सोहनलाल से कथित वन्य प्राणी सांभर के पहचान योग्य अवयव की बरामदगी न होने तथा कथित पके हुए मांस की विधिवत् जप्ती प्रमाणित नहीं है। अभियोजन ने कथित सांभर के पके हुए मांस की किसी विशेषज्ञ साक्षी से शिनाख्ती नहीं कराई है और न ही उक्त मांस का फॉरेन्सिक परीक्षण कराकर उसका प्रतिवेदन पेश किया है। इस प्रकार मामलें में जप्तशुदा मांस की शिनाख्ती भी न होने से यह प्रमाणित नहीं होता कि जप्तशुदा मांस वन्यप्राणी सांभर का ही था। वास्तव में आरोपीगण से कथित मांस की विधिवत् जप्ती ही प्रमाणित नहीं है। इस कारण से वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा-57 के अंतर्गत यह उपधारणा नहीं की जा सकती कि कथित जप्तशुदा संपत्ति आरोपीगण के अवैधानिक कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में रही है। अभियोजन ने यह भी प्रमाणित नहीं किया है कि जप्तशुदा मांस वन्यप्राणी सांभर का ही था। उक्त के अभाव में यह तथ्य प्रमाणित नहीं होता कि आरोपी जगतू सिंह, रोशनलाल, सोहनलाल ने कथित वन्य प्राणी सांभर का शिकार कर अवैध रूप से व्यापार के उद्देश्य से उसका मांस काटकर विक्रय किया। मामलें में की गई तात्विक त्रुटिपूर्ण एवं संदेहास्पद कार्यवाही के आधार पर आरोपी जगतू सिंह, रोशनलाल, सोहनलाल को कथित अपराध हेतु दोषसिद्ध नहीं ठहराया जा सकता है।

22— प्रकरण में प्रस्तुत संपूर्ण साक्ष्य से यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित नहीं किया है कि आरोपी जगतू सिंह, रोशनलाल, सोहनलाल ने दिनांक-18.09.1996 को बीट क्रमांक-278 बिजौरा अंतर्गत वन परिक्षेत्र पश्चिम बैहर में बिना अनुज्ञप्ति मादा सांभर का शिकार कर अवैध रूप से व्यापार के उद्देश्य से उसका मांस काटकर विक्रय किया। फलस्वरूप आरोपी जगतू सिंह, रोशनलाल, सोहनलाल को वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा-9, 39, 49 बी, सहपठित धारा-51 के अंतर्गत दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

23— आरोपी जगतू सिंह, रोशनलाल, सोहनलाल के जमानत मुचलके भारमुक्त किये

जाते हैं।

24— प्रकरण में आरोपी जगतलाल फरार होने से जप्तशुदा संपत्ति का निराकरण नहीं किया जा रहा है।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट